

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:-स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश / 1821 / 2024

दिनांक :20.05.2024


श्रीमती अलका बंसल (RJ00303), विशिष्ट न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005, करौली को निम्नलिखित अवकाश स्वीकृत किये जाते हैं:-

1. दिनांक 20.04.2024 से 21.04.2024 तक 02 दिनों का उपाजित अवकाश।
2. दिनांक 22.04.2024 से 24.04.2024 तक 03 दिनों का परावर्तित अवकाश।

श्रीमती बंसल की अनुपस्थिति में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, करौली ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति विशिष्ट न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005, करौली के पद पर ही की गई।

आज्ञा से


रजिस्ट्रार (विर्गीकरण)

क्रमांक:-स्था.बी.2(4)/06/2000/ 3959

दिनांक 20.05.2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. विशिष्ट न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005, करौली को उनके पत्रांक 25 दिनांक 25.04.2024 के सन्दर्भ में ।
3. श्रीमती अलका बंसल (RJ00303), विशिष्ट न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005, करौली ।
4. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, करौली ।


20/5/2024
सहायक रजिस्ट्रार